सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

प्रा०पत्र सं० 03/2023 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
राजस्थान सरकार जरिये प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी लालसोट जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री अमर सिंह गुर्जर पुत्र श्री मान सिंह गुर्जर निवासी पाटोली तहसील महवा (नेशनल हाईवे के नजदीक व देवनारायण होटल के पीछे)

..अप्रार्थी

उपस्थित: 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

जब्तशुदा 09 घरेलू एल०पी०जी० गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 107.9 किलोग्राम व अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

## निर्णय

दिनांक: 26.03.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन अधिकारी लालसोट के द्वारा 4.10.2023 को घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग में प्रयुक्त कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 70.8 किलोग्राम एल0पी0जी0, इलैक्ट्रोनिक कांटा, गैस रेगूलेटर व पाईप को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू एल0पी0जी0 गैस के अवैध भंडारण व रिफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 4.10.2023 को प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा अवैध रिफलिंग की सूचना के आधार परपाटोली बाईपास (बालाजी बाईपास) टोडाभीम रोड स्थित देवनारायण होटल के पीछे स्थित मकान में मौके पर बालाहेडी थाना पुलिस स्टाफ के देवराज सिंह कानि0व श्री अमित सिंह कानि0 की कस्टडी में मौके पर गैस सिलेण्डर कुल 8 तथा इलैक्ट्रिक कांटा व विधुत मोटर मय पाईप रेगूलेटर पाया गया। इन्होंने बताया कि मौके पर डी.एस.टी.टीम द्वारा अवैध रिफलिंग करते हुए पकडे जाने पर उक्त सिलेण्डरों व अन्य सामग्री को श्री अमर सिंह गुर्जर पुत्र श्री मान सिंह गुर्जर निवासी पाटोली के कब्जे से पकडे है। पुलिस स्टाफ ने बताया कि उनको थानाधिकारी पुलिस थाना बालाहेडी से प्राप्त निर्देश के अनुसार पकडे गये सिलेण्डरों की सुरक्षार्थ तैनात किया गया है। मौके पर ही इनके पास अवैध गैस रिफलिंग के कार्य में लिप्त श्री अमर सिंह गुर्जर पुत्र मान सिंह गुर्जर उपस्थित मिले। मौके पर आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि वह गैस सिलेण्डरों से विधुत मोटर के माध्यम से वैन व एम्बुलेन्स आदि में रिफलिंग का कार्य करता है। इस प्रकार मौके पर आरोपी श्री अमर सिंह गुर्जर द्वारा नेशनल हाईवे के नजदीक देवनारायण होटल के पास अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर पाये गये 8 गैस सिलेण्डरों को तौलने हेतु बाबा भारत गैस एजेंसी, उदयपुरा के मालिक श्री सत्यनारायण शर्मा व गैस ऐजेन्सी पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर भगवत प्रसाद बैरवा निवासी दौसा द्वारा मौके पर सभी 8 गैस सिलेएडरों को इनके कांटे से तौला गया। तौलने पर सभी सिलेण्डरों में कुल 70.8 किलोग्राम शुद्ध एल0पी0जी0 गैस का स्टॉक होना पाया गया। मौके पर दुकान में घरेलू गैस के 8 सिलेएडर रखे हुए पाये गये तथा इलैक्ट्रोनिक कांटा व विधुत मोटर मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पाईप रेगूलेटर पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि श्री अमर सिंह गुर्जर पुत्र श्री मान सिंह गुर्जर द्वारा दुकान में अवैध रूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस का भंडारण, रिफलिंग, अन्तरण व विक्रय का कार्य किया जाता है। मौके पर ही बाबा भारत गैस ऐजेन्सी, उदयपुरा के मालिक श्री सत्यनारायण शर्मा को माक्के पर बुलाकर हैंगिंग मशीन से तौलने की कार्यवाही की गई। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है:–

| कसं | सिलेण्डर श्रेणी | नाम गैस कंपनी | सीरियल नंबर | खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम) | कुल वजन (किलोग्राम) | शुद्ध गैस का वजन किलोग्राम में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | घरेलू | आईओसीएल | 653262 पी | 15.6 | 15.7 | 0.10 |
| 2 | घरेलू | आईओसीएल | 837191 एस | 15.7 | 29.8 | 14.1 |
| 3 | घरेलू | आईओसीएल | 391044 एफ | 15.2 | 30.0 | 14.1 |
| 4 | घरेलू | आईओसीएल | 870048 टी | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 5 | घरेलू | आईओसीएल | 625526 एस | 15.7 | 29.8 | 14.1 |
| 6 | घरेलू | आईओसीएल | 588049 एस | 15.5 | 29.8 | 14.3 |
| 7 | घरेलू | आईओसीएल | 692841 जे | 15.5 | 29.6 | 14.1 |
| 8 | घरेलू | एचपीसीएल | 285041 जे | 15.9 | 15.9 | 0 |
| | | कुल योग | | | | 70.8 |

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 8 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 70.8 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, इलेक्ट्रोनिक कांटा, विधुत मोटर, रेगूलेटर व पाईप गैस सिलेण्डरों को जब्त कर कब्जे कब्जा राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी.व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सत्यनारायण पुत्र रामदयाल शर्मा निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तन उदयपुरा मालिक बाबा भारत गैस को सुपुदर्गी में दिये गये। श्री अमर सिंह गुर्जर पुत्र मान सिंह गुर्जर निवासी पाटोली द्वारा गैस भंडारण के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर घनी आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग व विक्रय का कारोबार किया जाना पाया गया तथा घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया।

उक्त अनियमितता करके श्री अमर सिंह गुर्जर पुत्र श्री मानसिंह गुर्जर द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 70.8 किलोग्राम तथा इलैक्ट्रोनिक कांटा, गैस रेगूलेटर व पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल0पी0जी0 गैस के अवैध भंडारण व रिफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 4.10.2023 को प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा अवैध रिफलिंग की सूचना के आधार पर पाटोली बाईपास (बालाजी बाईपास) टोडाभीम रोड स्थित देवनारायण होटल के पीछे स्थित मकान में मौके पर बालाहेडी थाना पुलिस स्टाफ के देवराज सिंह कानि0व श्री अमित सिंह कानि0 की कस्टडी में मौके पर गैस सिलेण्डर कुल 8 तथा इलैक्ट्रिक कांटा व विधुत मोटर मय पाईप रेगुलेटर पाया गया। मौके पर ही इनके पास अवैध गैस रिफलिंग के कार्य में लिप्त श्री अमर सिंह गुर्जर [illegible] सिंह गुर्जर उपस्थित मिले। मौके पर आरोपी से पूछताछ करने पर बताया [illegible] विधुत मोटर के माध्यम से वैन व एम्बुलेन्स आदि में रिफलिंग का कार्य करता है। श्री अमर सिंह के पास सिलेण्डरों के भंडारण बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं था। एलपीजी गैस सिलेण्डरों से वाहन में अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री अमर सिंह गुर्जर द्वारा एल0पी0जी0 आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी अमर सिंह गुर्जर ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाले उपकरण मय पाईप व रेगुलेटर भी पाया गया है। मौके पर में घनी आबादी क्षेत्र में एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order, 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 70.8 किलोग्राम तथा इलैक्ट्रोनिक कांटा, गैस रेगूलेटर व पाईप को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested